जल्दी ही आयेगा सोशल मीडिया पर सेबी का नियमन

यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया के जरिये पंप ऐंड डंप घोटाले किस तरह होते हैं, और आप इनके चक्कर में फँसने से कैसे बच सकते हैं? प्रस्तुत है सेबी के नियमनों (रेगुलेशन) पर ख़ास नजर रखने वाली विशेषज्ञ सीएस कृति गोगरी से यह बातचीत।

सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो आम लोग अच्छे और बुरे के बीच में कैसे फर्क करें, कैसे समझें कि फलाँ चीज मेरे फायदे की है और फलाँ चीज में सामने वाला जो कहानी सुना रहा है, वह उसके अपने फायदे की है?

कुछ लोग यूट्यूब पर जानकारियाँ डालते हैं, पर उनका इरादा अपना लाभ कमाने का होता है। ये लोग यूट्यूब पर जो जानकारियाँ डालते हैं, वे विश्वसनीय या सच्ची नहीं होती हैं। जैसे, किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति या फिर किसी आने वाली परियोजना (प्रोजेक्ट) या उत्पाद (प्रोडक्ट) के बारे में ऐसी कोई बात करते हैं, जो सच्ची नहीं हो। इससे शेयरों के भाव ऊपर जाते हैं। ये लोग अपने यूट्यूब वीडियो डालने से पहले ही उस कंपनी के शेयर लेकर रख लेते हैं और जैसे ही भाव ऊपर जाये तो ये लोग बढ़ाये हुए दामों (इन्फ्लेटेड प्राइस) पर अपने शेयरों को बेच देते हैं और इससे उनको लाभ होता है उससे। यह बढ़ायी हुई कीमत कृत्रिम और अस्वाभाविक रूप से बढ़ायी गयी होती है।

किसी ने कुछ सूचनाएँ लोगों के बीच डाल दीं और उसकी वजह से काफी लोग इसके असर में आ गये। इस वजह से उधर खरीदारी शुरू हुई और यूट्यूब चैनल पर ऐसी जानकारी डालने वालों ने अपने शेयर उसके बाद बेच दिये, जिसे हम बोलते हैं डंप करना। उसकी वजह से उनको मुनाफा मिलता है।

इससे पहले भी एसएमएस, व्हाट्सऐप्प आदि के जरिये कुछ लोग ऐसा काम करते रहे थे। अब सोशल मीडिया के रूप में उनके हाथ में एक नयी चीज आ गयी। हम लोग भी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही यह बात कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया से आप भाग तो नहीं सकते। तो अगर यहाँ यह खेल चल रहा है तो अच्छे-बुरे में अंतर कैसे करना है?

सोशल मीडिया पर मिली हर एक सूचना जरूरी नहीं है कि विश्वसनीय हो या एकदम सही हो। अगर आपको ऐसी कोई खबर मिलती है, किसी भी शेयर के बारे में, तो हमेशा उसके बारे में भरोसेमंद स्रोतों से थोड़ा और जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे उस कंपनी की अपनी वेबसाइट, कंपनी की अपने वार्षिक रिपोर्ट, या फिर उनके मैनेजमेंट कॉल आदि विश्वसनीय स्रोतों पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं यह नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया पर हर सूचना गलत है। पर अगर आपको उस पर और जानकारी लेनी चाहिए। या जो सेबी से पंजीकृत ब्रोकर, रिसर्च एनालिस्ट, निवेश सलाहकार आदि हैं, इनकी मदद से आप तय कर सकते हैं कि किसी शेयर में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं।

किस तरह के लोगों को अनुमति है कि वे किसी भी तरह मीडिया पर, चाहे अखबार हो, टीवी हो या सोशल मीडिया हो, इन पर सार्वजनिक रूप से कोई सलाह दे सकें। उन्हें किस तरह के नियमनों (रेगुलेशन) का पालन करना पड़ता है? और कौन लोग इस तरह मीडिया पर यूँ ही सलाह नहीं दे सकते कि यह शेयर खरीदो और वह शेयर बेच दो?

सेबी शेयर बाजार का नियामक (रेगुलेटर) है और उसने काफी नियम बनाये हैं उन लोगों के लिए, शेयरों या म्यूचुअल फंड के बारे में विश्लेषण या अपनी राय देते हैं। इस पर दो नियमन हैं। एक तो रिसर्च एनालिस्ट पर है, और दूसरा निवेश सलाहकारों (इन्वेस्टमेंट एडवाइजर) पर है। जो लोग सेबी से पंजीकृत होते हैं, जिनके पास का लाइसेंस है रिसर्च एनालिस्ट, निवेश सलाहकार या पोर्टफोलिओ मैनेजर के रूप में काम करने का, वे ही लोग आपको शेयरों पर यह सलाह दे सकते हैं कि खरीदिए या बेचिए।

मगर सोशल मीडिया पर तो करोड़ों लोग हैं। उनमें कोई भी अगर फेसबुक पर जाकर लिख दे कि फलाँ शेयर अच्छा लग रहा है, या कहीं पर कोई बहस ही शुरू हो गयी। जैसे, किसी सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर किसी ने पूछा कि फलाँ शेयर कैसा लग रहा है, तो किसी ने लिख दिया कि बहुत बढ़िया लग रहा है, किसी ने लिख दिया कि बेच लो। तो सेबी कैसे यह फर्क करेगा कि कहाँ कोई सलाहकार बन कर लोगों को सलाह देने का काम कर रहा है और कहाँ लोगों के बीच की गपशप है जिसमें हमें नहीं पड़ना है?

अभी तो जो यूट्यूब पर फिनफ्लुएंशर हैं या कोई और सोशल मीडिया की कम्युनिटी है जिस पर बातचीत हो रही है, तो इसके बारे में सेबी की ओर से नियम बने नहीं हैं। पर सेबी ने इस पर ध्यान रखा है और बहुत जल्द इसके नियम आने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अभी बातें करते हैं, उन पर अभी कोई नियम लागू नहीं होगा। पर कुछ समय बाद सेबी का कोई स्पष्ट नियमन जरूर आयेगा। अभी भी अगर आप लोगों को शेयरों या म्यूचुअल फंडों को खरीदने-बेचने की राय देते हैं तो जरूर आपको सेबी के साथ पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना पड़ेगा।